शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 5/2015/405/26-2-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2015

विषयः- **समाजवादी पेंशन योजना की प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं अर्न्तविभागीय समन्वय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि समाज के सभी वर्गो को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से **समाजवादी पेंशन योजना** वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ की गई है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-264/26-2- 2014-100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। समाजवादी पेंशन योजना देश की पहली **"कंडीशनल कैश ट्रांसफर"** योजना है। इस योजना में लाभान्वित किये जा रहे परिवार के मुखिया को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कतिपय अधोलिखित शर्तो को स्वीकार करना होगाः-

I. लाभान्वित परिवार में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका, यदि हों, को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराना होगा।

II. लाभान्वित परिवार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति आवश्यक होगी, जो कुल कार्य दिवसों के 70 प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

III. पेंशन प्राप्त होने के पश्चात् लाभान्वित परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य, जो साक्षर नहीं हैं, को साक्षर होने के लिए साक्षरता मिशन के कार्यक्रम (यदि उस गॉव/नगर निकाय में संचालित है) में नियमित रूप से सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

IV. लाभान्वित परिवार के 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

V. लाभान्वित परिवार के 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को वर्ष में कम-से-कम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक होगा।

VI. लाभान्वित परिवार में गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति होते रहने पर ही एक वर्ष के उपरान्त लाभार्थियों को रू0 50/- प्रतिमाह की वार्षिक वृद्धि अनुमन्य होगी। बेसिक शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त सेवायें समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत चयनित समस्त परिवारों को अनिवार्यतः सुचारू एवं सुनिश्चित तौर पर उपलब्ध हो।

2- समाजवादी पेंशन योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभागों से अधोलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित हैः-

<u>बेसिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान/राज्य साक्षरता मिशन-</u>

I. समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार सूची http://sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है। बेसिक शिक्षा अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी उक्त वेबसाईट से ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार लाभार्थियों की सूची डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को **<u>माह फरवरी, 2015</u>** में उपलब्ध करायेंगे। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित लाभार्थी परिवारों में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका का आगामी शैक्षणिक सत्र (2015-16) में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामाकंन हो जाय।

II. प्रत्येक प्रधानाध्यापक चयनित लाभार्थी परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा (<u>संलग्नक-क</u>) पर अप्रैल, 2015 में खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उसे एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर विलंबतम <u>मई, 2015</u> तक अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

III. लाभान्वित परिवार के स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की विद्यालय में कम-से-कम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा विकसित **एस0एम0एस0** आधारित **उपस्थिति मॉड्यूल** का उपयोग किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों का कक्षावार एवं अनुक्रमांक अनुसार नाम सॉफ्टवेयर पर अंकित किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था से सभी परिषदीय विद्यालयों में **उपस्थिति पंजिका** कम्प्यूटरीकृत हो जायेगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य **<u>अनिवार्यतः मई-जून, 2015 में</u>** पूर्ण कर लिया जाय।

IV. उपस्थिति मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने मोबाइल नम्बर को मास्टर डाटा बेस में फीड करना होगा, जिससे उस मोबाइल नम्बर को विद्यालय से लिंक किया जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

V. विभाग द्वारा कक्षावार निर्धारित समय पर उपस्थिति लेने हेतु अधिकृत अध्यापक द्वारा अधिकृत मोबाईल के माध्यम से कक्षा में अनुपस्थित छात्रों का रोल नंबर एस0एम0एस0 के माध्यम से एन0आई0सी0 सर्वर पर प्रेषित किया जायेगा। उक्त के आधार पर प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित/अनुपस्थित छात्रों का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध हो जायेगा। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन रैण्डम आधार पर किसी एक विद्यालय में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति को वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के सापेक्ष विद्यालय का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

VI. छात्रों की नियमित उपस्थिति का सीधा प्रभाव छात्रों के शैक्षिक/बौद्धिक विकास (learning outcome) के रूप में परिलक्षित होता है। अतएव शैक्षिक/बौद्धिक विकास (learning outcome) के नियमित अनुश्रवण की भी कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था एन0आई0सी0 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान/बेसिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से परामर्श कर विकसित की जायेगी।

VII. एन0आई0सी0 द्वारा विकसित एस0एम0एस0 आधारित उपस्थिति मॉड्यूल के संचालन में अध्यापकों को एस0एम0एस0 भेजने पर होने वाले व्यय (रू0 1000/- वार्षिक) की प्रतिपूर्ति बेसिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की जायेगी, जो लगभग रू0 30.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

VIII. एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित किये जा रहे सॉफ्टवेयर हेतु मास्टर डाटा बेस में निम्नलिखित जानकारी निदेशक, बेसिक शिक्षा/सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ को **<u>विलंबतम 28 फरवरी, 2015 तक</u>** सॉफ्ट कापी में उपलब्ध करायेंगे:-

- बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों का विवरण
- विद्यालय में तैनात शिक्षक/शिक्षा मित्रों का विवरण (मोबाईल नंबर सहित)
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति लेने हेतु अधिकृत शिक्षक का नाम तथा मोबाईल नंबर
- प्रदेश के 66 जनपदों में चल रहे साक्षरता केन्द्र का विवरण (प्रेरक का नाम एवं मोबाईल नंबर सहित)
- सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर

ix एस0एम0एस0 आधारित उपस्थिति मॉड्यूल को विकसित करने एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग तत्काल बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं सर्व शिक्षा अभियान में एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

x. **दिनांक 16.02.2015 से जनपद-लखनऊ के चिनहट ब्लाक में एस0एम0एस0 आधारित उपस्थिति माड्यूल को ट्रायल आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा।**

xi. समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवार में यदि 15 से 35 आयु वर्ग का कोई निरक्षर सदस्य है, तो उसका नामांकन साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में करने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी, साक्षरता मिशन (बेसिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी) की होगी। ऐसे सदस्यों का ब्यौरा भी सॉफ्टवेयर पर **मई, 2015 तक** अपलोड कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में आवश्यक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एन0आई0सी0 द्वारा विकसित कर जनपदों को अप्रैल, 2015 में उपलब्ध करा दी जायेगी।

xii. निदेशक, साक्षरता समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवार के निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

i. समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार के 05 वर्ष तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव विषयक शर्तों के अनुश्रवण हेतु साफ्टवेयर का विकास एन0आई0सी0 द्वारा किया जायेगा।

ii. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निम्नलिखित सूचना एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित की जाने वाली सॉफ्टवेयर के मास्टर डाटा बेस हेतु **विलंबतम 28 फरवरी, 2015 तक** उपलब्ध करायी जानी होगी:-

- सभी आशा/ए0एन0एम0 का नाम, कार्यक्षेत्र एवं मोबाईल नंबर
- सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल के प्रभारी का नाम एवं मोबाईल नंबर
- विभिन्न प्रकार के टीकाकरण का शिड्यूल

iii. एन0आई0सी0 के द्वारा बच्चों का **टीकाकरण मॉड्यूल, प्रसूति मॉड्यूल तथा विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल** का विकास किया जायेगा। एस0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता को समय से सूचना भेजने की व्यवस्था भी की जायेगी।

iv. समाजवादी पेंशन के सभी चयनित परिवार में **जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य रूप से** बनाना होगा। यह कार्यवाही **विलंबतम 31 मार्च, 2015 तक** पूर्ण कर लिया जाय और भविष्य में इन परिवारों में किसी भी महिला के गर्भवती होने की दशा में तत्काल नियमानुसार जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर सभी देय सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

v. चयनित परिवार के सभी बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड के डाटा को सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से प्रतिमाह अपलोड करना होगा। इस पर होने वाला व्यय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इस कार्य को करवाने की तथा अनुश्रवण की जिम्मेदारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन-चार्ज (BMoIC) की होगी।

vi. जिन बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड पूर्व में नहीं बना है और जिनका पूर्व में नियमित टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके लिए **नवीन टीकाकरण कार्ड** बनाया जायेगा। यह कार्यवाही **विलंबतम 31 मार्च, 2015 तक** पूर्ण कर लिया जाय।

vii. वर्ष 2015-16 का विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण शिड्यूल अप्रैल, 2015 में ही बना लिया जाय ताकि मई, 2015 से प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

http://shasanadesh.upnic.in

viii. विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित जानकारी को संबंधित मॉड्यूल पर नियमित रूप से प्रतिमाह अपलोड करने की कार्यवाही की जाय।

<u>बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग</u>

i. जनपद में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी0पी0ओ0) समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार सूची http://sspy-up.gov.in से डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकत्री को माह फरवरी, 2015 में उपलब्ध करायेंगे।

ii. सभी आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सभी सुविधायें मुहैया करायी जायें तथा 6 वर्ष की उम्र पूरा होने पर विद्यालय में नामांकन कराने में सहयोग करें। इस कार्य को प्राथमिकता पर माह मार्च, 2015 में सम्पन्न कर लिया जाय।

<u>बेसलाईन सर्वेक्षण</u>

i. समाजवादी पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि योजना के अंतर्गत सभी चयनित परिवार का विस्तृत बेसलाइन सर्वेक्षण कराया जाय और इसका प्रत्येक त्रैमास में निरंतर अद्यावधीकरण (updation) किया जाय एवं पूरी सूचना साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाय।

ii. बेसलाईन सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक अपडेशन प्रपत्र <u>संलग्नक -ख</u> पर अवलोकनीय है।

iii. वर्ष 2014-15 में चयनित समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थी परिवारों का बेसलाईन सर्वेक्षण कार्य माह **<u>मार्च, 2015 में</u>** संपादित किया जाना है।

iv. दिनांक 15 फरवरी, 2015 के उपरांत http://sspy-up.gov.in पर प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के चयनित लाभार्थियों के परिचयात्मक विवरण के साथ बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रिंटआउट लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विकास खंड में तैनात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन-चार्ज (BMolC) ग्राम पंचायत वार प्रत्येक चयनित लाभार्थी परिवार के सर्वेक्षण हेतु बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रिंटआउट निकलवाकर संबंधित आशा/ए0एन0एम0 को **<u>विलंबतम 28 फरवरी 2015 तक</u>** उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रिंटआउट निकलवाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो अपने स्तर से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

v. ग्रामीण क्षेत्र में बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के आशा/ए0एन0एम0 के माध्यम से कराया जायेगा तथा शहरी क्षेत्र में यह कार्य बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से संपादित किया जायेगा ।

vi. आशा/ए0एन0एम0 एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विकास खंड स्तर पर बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र भरने हेतु संक्षिप्त प्रशिक्षण फरवरी, 2015 में अपर विकास अधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

(सांख्यिकी) अथवा जिला सांख्यिकी अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

vii. बेसलाईन सर्वेक्षण का प्रत्येक त्रैमास (मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर माह में) में अद्यावधीकरण (updation) किया जायेगा। इस कार्य को भी आशा/ए0एन0एम0/ आंगनबाड़ी कार्यकत्री संपादित करेंगी।

viii. सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में आशा संबंधित ए0एन0एम0 के माध्यम से भरे हुए प्रपत्र विकास खंड स्तर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन-चार्ज (BMolC) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकत्री भरे हुए प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

ix. विकास खंड स्तर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इन-चार्ज (BMolC) एक रजिस्टर बनाकर प्रत्येक आशा के नाम के सम्मुख उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की संख्या अंकित कर उस पर ए0एन0एम0 के हस्ताक्षर करायेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में जिला समाज कल्याण अधिकारी एक रजिस्टर बनाकर प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकत्री के नाम के सम्मुख उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की संख्या को अंकित कर उस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर करायेंगे।

x. त्रैमासिक अपडेशन प्रपत्र का भी प्रिंटआउट बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था के अनुसार ही सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

xi. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेसलाईन सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक अपडेशन के कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर रैंडम आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कम-से-कम 5 प्रतिशत परिवारों के सर्वेक्षण प्रपत्रों की स्वतंत्र जांच जनपद एवं विकास खंड में तैनात अधिकारियों के माध्यम से करायेंगे। सर्वेक्षण की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **जनपद स्तरीय समिति** के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और समिति के अनुमोदनोपरांत ही नियमानुसार संबंधित सर्वेक्षण कर्मियों/डाटा इंट्री आपरेटर को मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

xii. शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **जनपद स्तरीय समिति** में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

xiii. उपरोक्त कार्यों हेतु आशा/ए0एन0एम0/आंगनबाड़ी कार्यकत्री को विशेष मानदेय तथा प्रपत्र आदि के प्रिंटआउट पर होने वाले संभावित व्यय की राशि समाज कल्याण विभाग के द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद से प्रदान की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

xiv. बेसलाईन सर्वेक्षण हेतु आशा/ए0एन0एम0/आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रू0 12/- प्रति लाभार्थी परिवार उपलब्ध कराया जायेगा और अपडेशन सर्वेक्षण कार्य हेतु रू0 3/- प्रति लाभार्थी परिवार देय होगा।

xv. प्रपत्र के प्रिंटआउट हेतु रू0 1/- प्रति पृष्ठ की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

xvi. ग्रामीण क्षेत्र के बेसलाइन सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक अपडेशन प्रपत्रों के डाटा इंट्री का कार्य स्वास्थ्य विभाग के विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध डाटा इन्ट्री आपरेटर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर करेंगे।

xvii. शहरी क्षेत्र के बेसलाईन सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक अपडेशन प्रपत्रों के डाटा इंट्री का कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी अपनी देख-रेख में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर करायेंगे।

xviii. बेसलाईन सर्वेक्षण के डाटा इंट्री कार्य हेतु डाटा इंट्री आपरेटर को रू0 6/- प्रति लाभार्थी परिवार एवं अपडेशन प्रपत्रों के डाटा इंट्री कार्य हेतु रू0 1.50 प्रति लाभार्थी परिवार विशेष मानदेय देय होगा।

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

I. समाजवादी पेंशन योजना के नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु समाज कल्याण निदेशालय में **सांख्यिकी प्रकोष्ठ** की स्थापना की जायेगी, जिसमें अर्थ एवं संख्या विभाग 01 उप निदेशक, 02 अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा 04 अपर सॉख्यिकी अधिकारी उपलब्ध करायेंगे। इन अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि पर होने वाला व्यय समाज कल्याण विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा।

II. उक्त सांख्यिकी प्रकोष्ठ का यह दायित्व होगा कि वह विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायेंगे ताकि उसके आधार पर उन लाभार्थियों को चिन्हित किया जा सके, जिन्हें वार्षिक वृद्धि नियमानुसार देय होती है। इसी प्रकार जो लाभार्थी अपात्र पाये जाते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाजवादी पेंशन योजना से अलग करने की कार्यवाही भी निदेशक, समाज कल्याण द्वारा नियमानुसार जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से करायी जा सके।

3- समाजवादी पेंशन योजना के वर्ष 2014-15 में चयनित लाभार्थियों को नियमानुसार उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होते रहने पर वार्षिक वृद्धि 01 अप्रैल, 2016 से देय होगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

<u>पृ0संख्या-5/2015/405(1)/26-2-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0

6- निदेशक, साक्षरता, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

8- राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।

9- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

10- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0, लखनऊ।

12- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ।

13- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-क

समाजवादी पेंशन योजना

लाभार्थी परिवार के 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के संबंध में

(1) परिचयात्मक विवरण:-

जनपद - विकास खण्ड/नगर -

ग्राम पंचायत/वार्ड -

लाभार्थी परिवार के मुखिया का नाम -

लाभार्थी आई0डी0 -

(2) क्या परिवार में 6-14 वर्ष का बच्चा है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं - हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ,

क्र0 सं0	बच्चे का नाम	लिंग	आयु	कक्षा	विद्यालय (सरकारी/प्राइवेट)	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

(ii) यदि नहीं, तो स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्र0 सं0	बच्चे का नाम	लिंग	आयु
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

(iii) उपरोक्त कॉलम -(ii) के बच्चों के विद्यालय में नामांकन के संबंध में विवरण-

क्र0 सं0	बच्चे का नाम	लिंग	आयु	विद्यालय में नामांकन की तिथि	नामांकित कक्षा	विद्यालय का प्रकार (प्राइवेट/सरकारी)	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

दिनांक: हस्ताक्षर.....

प्रधानाध्यापक/अध्यापक का नाम.....

विद्यालय का नाम व पता .....

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-ख

समाजवादी पेंशन योजना

(बेस लाइन सर्वेक्षण)

(1) परिचयात्मक विवरण:-

जनपद - विकास खण्ड/नगर -

ग्राम पंचायत/वार्ड -

लाभार्थी परिवार के मुखिया का नाम -

लाभार्थी आई0डी0- लाभार्थी का आधार नं0-

लाभार्थी परिवार का मोबाईल नं0 -

(2) पारिवारिक विवरण:-

क्र0सं0	**परिवार के सदस्य का नाम**	**मुखिया से सम्बन्ध**	**आयु**	**लिंग (स्त्री/पुरूष)**	**शैक्षिक स्तर**	**वैवाहिक स्थिति**
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6		मुखिया				

(3) क्या परिवार में कोई महिला गर्भवती है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो महिला का नाम एवं उम्र -

(4) क्या परिवार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो बच्चों के टीकाकरण की स्थिति -

क्र0सं0	बच्चों का नाम	Health Card है/नहीं	यदि है, तो Health Card नंबर	नियमित टीकाकरण हुआ है/मात्र बी.सी.जी. का टीका लगा है/टीका लगने का जानकारी नहीं है/जानकारी है पर अनियमित/कोई टीका नहीं लगा है
1	2	3	4	5
1 2 3 4				

(5) क्या परिवार में 6-14 वर्ष का बच्चा है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं - हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ, तो

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	बच्चों का नाम	कक्षा	विद्यालय सरकारी/प्राइवेट	यदि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो		
				मासिक फीस पर व्यय	ड्रेस पर व्यय	किताब, स्टेशनरी पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7

(iii) यदि नहीं, तो बच्चे का नाम एवं उम्र -

(6) क्या परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति निरक्षर है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ तो वो साक्षरता केन्द्र पर पंजीकृत है - हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ, तो

साक्षरता केन्द्र का नाम -

पंजीकरण संख्या -

(ii) यदि नहीं, तो व्यक्ति का नाम -

(7) **आर्थिक गतिविधि/व्यवसाय -**

(i) क्या परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो कितनी भूमि है - ..... हेक्टेयर

(ii) क्या परिवार का कोई निजी व्यवसाय है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो व्यवसाय का नाम -

(ii) क्या परिवार में कोई व्यक्ति नौकरीपेशा है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो (i) नौकरी की प्रकृति - सरकारी/गैर सरकारी

(ii) कार्य का पद/स्वरूप -

(iii) मासिक वेतन -

(8) **आवासीय सुविधा** (केवल शहरी क्षेत्र हेतु) -

(अ) क्या परिवार के पास निजी मकान है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो (i) मकान की भूमि - ..... वर्ग फीट

(ii) मकान का स्वरूप - कच्चा/अर्द्धपक्का/पक्का

(ब) यदि नहीं, तो (i) क्या आवास किराये पर है - हाँ/नहीं

(ii) मासिक किराया -

(9) **अन्य:-**

(अ) क्या परिवार के पास मोटरसाइकिल है - हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ, तो मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर -

(ब) क्या परिवार के पास अन्य मोटराईज्ड वाहन है- हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ, तो वाहन का प्रकार - कार/जीप/आटो रिक्शा

(ii) वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर -

(स) क्या परिवार के पास ट्रैक्टर/पावर टिलर है- हाँ/नहीं

दिनांक:- सर्वेक्षणकर्ता का नाम/हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

समाजवादी पेंशन योजना

(त्रैमासिक अपडेशन प्रपत्र)

लाभार्थी आई0डी0 -

लाभार्थी परिवार के मुखिया का नाम -

त्रैमासान्त - मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर

(1) क्या गत त्रैमास में परिवार में कोई प्रसव हुआ है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो प्रसव सम्बन्धी विवरण -

(प) महिला का नाम -

(पप) प्रसव स्थल -

(पपप) जननी सुरक्षा का लाभ - मिला/नहीं मिला

(पअ) नवजात बच्चे को बी.सी.जी. का टीकाकरण-अस्पताल में लगा/स्वयं के द्वारा लगवाया/नहीं लगा है

(2) क्या परिवार में 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं - हाँ/नहीं

(प) यदि हाँ, तो

क्र0सं0	बच्चों का नाम	हेल्थ कार्ड नम्बर	त्रैमास में लगे टीके का विवरण
1	2	3	4
1 2 3			

(3) क्या परिवार में 6-14 वर्ष का बच्चा है, जो स्कूल में पंजीकृत नहीं है - हाँ/नहीं

(4) क्या गत त्रैमास में परिवार के किसी सदस्य को नौकरी प्राप्त हुई है - हाँ/नहीं

(अ) यदि हाँ, तो (i) नौकरी की प्रकृति - सरकारी/गैर सरकारी

(ii) कार्य का पद/स्वरूप -

(iii) मासिक वेतन -

(5) क्या परिवार में किसी वाहन या ट्रैक्टर का क्रय किया गया है - हाँ/नहीं

(i) यदि हाँ, तो वाहन का प्रकार - टैक्टर/मोटरसाइकिल/कार/जीप/आटो रिक्शा

(ii) वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर -

(6) क्या परिवार में किसी पावर टिलर का क्रय किया गया है - हाँ/नहीं

(7) परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन (यदि हो, तो विवरण):

दिनांक:- सर्वेक्षणकर्ता का नाम/हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

''समाजवादी पेंशन योजना''

बेस लाइन सर्वेक्षण प्रपत्र को भरे जाने सम्बंधी दिशा-निर्देश

समाजवादी पेंशन योजना के प्रत्येक चयनित लाभार्थी परिवार के लिये ''बेस लाइन सर्वेक्षण प्रपत्र'' का एक प्रपत्र भरा जाना है।

निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र में कुल 9 बिन्दुओं पर चयनित परिवार से सूचना प्राप्त कर सुस्पष्ट रूप से भरी जानी है। यद्यपि सर्वेक्षण प्रपत्र में उल्लिखत समस्त मद स्वतः स्पष्ट हैं, परन्तु प्रपत्र में निर्धारित 9 बिन्दुओं पर सूचना भरे जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत् है जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है-

(1) मद संख्या - 1 परिचयात्मक विवरण:-

इस मद के अन्तर्गत चयनित परिवार के जनपद/विकास खण्ड या नगर/ग्राम पंचायत या वार्ड/परिवार के मुखिया का नाम तथा लाभार्थी आई0डी0 पूर्व प्रिंटेड उपलब्ध होगी। इस मद में लाभार्थी का आधार नंबर अथवा इनरोलमेंट नंबर तथा लाभार्थी के स्वयं का अथवा परिवार के किसी सदस्य के पास उपलब्ध मोबाईल नंबर को अंकित करना होगा।

(2) मद संख्या -2 पारिवारिक विवरण:-

इस मद के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में सूचना ज्ञात कर भरी जानी है। परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहने वाले प्रत्येक सदस्य का नाम, मुखिया से उसका सम्बन्ध, पूर्ण की जा चुकी आयु (वर्ष में), लिंग, शैक्षिक स्तर व वैवाहिक स्थिति का अंकन किया जाना है।

प्रपत्र के इस मद के अन्तर्गत कालम-2 में प्रथम नाम मुखिया का लिखा जायेगा और उसके नाम के सम्मुख कालम-3 में ''मुखिया'' लिखते हुए अन्य की सूचनाएं क्रमवार भरी जानी चाहिये। शैक्षिक स्तर सम्बन्धी कालम-6 में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पूर्ण की जा चुकी (अर्थात पास की गई कक्षा) शिक्षा के आधार पर निरक्षर/प्री-प्राइमरी/प्राइमरी स्तर/उच्च प्राइमरी/हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/स्नातक या उससे उच्च का अंकन किया जायेगा। जबकि कालम-7 में वैवाहिक स्थिति के अन्तर्गत विधुर/विधवा/विवाहित/अविवाहित का अंकन किया जायेगा।

(3) मद संख्या -3:-

इस मद के अन्तर्गत परिवार में किसी महिला के गर्भवती होने या न होने सम्बन्धी सूचना का अंकन किया जाना है।

(4) मद संख्या -4:-

इस मद के अन्तर्गत परिवार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण की संज्ञानित स्थिति के आधार पर सूचना भरी जानी है। प्रत्येक बच्चे के पास ''जच्चा बच्चा स्वास्थ्य कार्ड (हेल्थ कार्ड)'' की उपलब्धता एवं टीकाकरण की स्थिति का तद्नुसार अंकन किया जाय।

(5) मद संख्या - 5:-

इस मद के अन्तर्गत परिवार के 6-14 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने सम्बन्धी सूचना का अंकन किया जाना है। यदि परिवार का कोई बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे का नाम अंकित करते हुए अन्य वांछित सूचनाएं भरी जानी हैं। केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के संदर्भ में सम्बन्धित बच्चे

http://shasanadesh.upnic.in

की शिक्षा पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में मासिक फीस का अंकन किया जाना है जबकि ड्रेस व किताब/स्टेशनरी/पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंकन किया जाना चाहिये।

(6) मद संख्या - 6:-

इस मद के अन्तर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों के बारे में सूचना अंकित की जानी है तथा ''निरक्षर व्यक्ति'' के साक्षरता केन्द्र पर पंजीकृत होने की सूचना भी दी जानी है।

(7) मद संख्या - 7:-

इस मद के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि या निजी व्यवसाय या नौकरीपेशा होने सम्बन्धी सूचना दी जानी है।

(8) मद संख्या - 8:-

इस मद के अन्तर्गत केवल शहरी क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों के आवासीय मकान सम्बन्धी सूचना दी जानी है।

(9) मद संख्या - 9 अन्य:-

इस मद के अन्तर्गत परिवार में मोटरसाइकिल या मोटराईज्ड वाहन या ट्रैक्टर/पावर ट्रिलर की उपलब्धता की जानकारी एकत्र की जानी है।

उक्तानुसार प्रत्येक मद के अन्तर्गत अत्यंत संक्षिप्त सूचना अंकित की जानी है परन्तु सर्वेक्षणकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि हाँ/नहीं में से वास्तविक सूचना के आधार पर उपयुक्त को टिक (√)करते हुये अन्य को अनिवार्य रूप से काट दिया जाय जिससे डेटा इन्ट्री में भ्रांति न हो अर्थात ''हाँ'' को टिक (√) करते समय ''नहीं'' को काट दिया जाय। समस्त सूचना भरने के पश्चात् सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अपना नाम/हस्ताक्षर व दिनांक भी भरा जाना आवश्यक है।

(10) सर्वेक्षण करने के उपरांत भरे हुए प्रपत्र प्रत्येक आशा ए0एन0एम0 के माध्यम से अथवा स्वयं विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के डाटा इंट्री आपरेटर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

---

http://shasanadesh.up.nic.in